



कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
विद्युत वितरण खण्ड—शाहबाद, हरदोई

Phone & Fax No: 05852-261000,
E-mail : eddshahabad.hardoi@gmail.com

पत्रांक: 11573 / विधिविभाग संख्या 00/प्र०एफ०

दिनांक: 12/10/2023

कार्यालय ज्ञाप

सत्तर पद्मेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश संख्या 469—चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015 निदेशक (वितरण) दिनांक 25.04.2015 एवं पञ्च संख्या 696—कार्य—चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 29.06.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में आपके निजी नलकूप पोर्टल आवेदन क्रमांक 1008327791 के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विद्युत भार एवं धनराशि जमा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	आवेदन क्रमांक	स्वीकृत भार	श्रेणी	प्रयोजन	रशीद सं०/ दिनांक
1	श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री गुरुवरश सिंह निर्माता गदरिया पो० मुण्डेर पाली विधिविभाग संख्या 00/प्र०एफ० हरदोई।	1008327791	8 HP	LMV-5	निजी नलकूप	VSBI2090731581/ 27.09.2023

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्नलिखित शर्तों/प्रतिकर्त्तों के अधीन है—

सामग्री का मूल्य	रु०	121981.00
मीटर की कीमत	रु०	2921.00
मीटर लेबर चार्ज	रु०	2036.00
प्रतिमूलि धनराशि	रु०	2400.00
जमा करने हेतु कुल धनराशि	रु०	129338.00

धनराशि शब्दों में— (एक लाख उन्तीस हजार तीन सौ अड़तीस रुपये मात्र)

नियम व शर्तें—

- विद्युत प्रणाली ओवरलोड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई की कुल विद्युत आपूर्ति के ब्रेकडाउन लोडशेडिंग तथा लो वोल्टेज की रामस्याएँ विद्यमान रहें।
- इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा ऊपरलिखित विद्युतभार उपभोग न करने की दशा में भी उक्त स्वीकृतभार स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
- यह स्वीकृति इस शर्त के साथ भी प्रतिवर्धित है कि उपभोक्ता को इस विद्युतभार के उपभोग के पूर्व उठोप्र० प्रदूषण नियंत्रण परिपद (यूपी० पायलूसानकन्ट्रोल वर्ड) विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेंस (यदि आवश्यक हो) भी प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- यदि उपभोक्ता के पक्ष मेंउक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
- उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियमों के अन्तर्गत की जायेगी, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु राग्य-2 पर आवश्यकतानुसार रोस्टिंग तथा आपात कालीन रोस्टिंग की जा सकती है।
- विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के लागेट शीड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
- उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कारपोरेशन को किसी भी ट्रॅक लाइन को टेप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- किसी भी दशा में शहरी पोषक की नगरपालिका/नगरमहापालिका/टाउन एरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युतभार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- स्वतन्त्र पोषक द्वारा विद्युतभार अवमुक्त करने हेतु कारपोरेशन द्वारा समय-2 पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि कालांग 2 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त स्वीकृत भार तब तक नहीं विमुक्त (रिलीज) किया जायेगा, जब तक उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया कारपोरेशन में धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
- यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और परिपद के मध्य कोई न्यायाधिक विवाद अथवा कोई के सलमित हो तो उस दशा में भी विद्युतभार विमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा।
- कारपोरेशन द्वारा निर्धारित ओपरारिक्टाएँ पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युतभार विमुक्त किया जायेगा।
- कोल्ड स्टॉरेज के सम्बन्ध में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति रुग्निश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत आपूर्ति स्वतन्त्र पोषक (इन्डेपेन्डेंट फोटो) से की जायेगी। इस हेतु नया रखतन्त्र फीडर बनाना आवश्यक हो तो उसके निर्माण के होने वाला व्यय स्वयं उपभोक्ता को वहन करना होगा।
- विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत/मांग बनाये रखने के लिये उपभोक्ता को संदेश दिया जाता है कि उपयुक्त शमता का जनरेटिंग रोट लगा ले, जिसके लिये परिपद की पुर्वानुमति अलग रीत द्वारा कर सकते हैं।

अनुबन्ध हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यवाही –

- गोटर निरीक्षण शुल्क के रूप में शाराकीय कोश में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क ₹ 500.00 जमा करना होगा।
- ऊपर लिखी घनराशि जमा करने के पश्चात जगानत व सर्विस लाइन चार्ज रूपये की रसीद की दो छायाप्रति परतुत करें।
- 100.00 रु० नॉगजुलिशिगल जनरल स्टाम तथा एग 10 रु के निर्धारित हलफनामे पर एक-एक फोटो चरापाकर किसी राजपत्रित / यामपदान / स्थाकपमुख / रादरयविदानरामा / लोकरामा द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
- आवेदक के आधारकार्ड की एक छायाप्रति लाखे, जिस पर फोटो लगाकर प्रमाणित करायें तथा पूरा नाम व पता एवं गोवाइल नं० लिखें।
- कैपीशिटर खरीद की आयाप्रति यो प्रतियों में।
- यदि आपको ऊपर लिखी शर्तों मान्य हों तो आप कृपया जिसी कार्य दिग्रा में 10 बजे से 01 बजे दोपहर तक किन्हीं दो गवाहों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर एमीमेंट पर हरसाकार करें।
- आपको कनेक्शन हेतु लाइन व सबस्क्रीशन बनवाने हेतु..... गजदूरी की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत्या आपको स्वयं करनी होगी।
- आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई से अपने वाहन द्वारा सामान की कुलाई करनी होगी आपके साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक / रिकल्डलेवर / जावेगा तथा आप द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था करने पर गीद्ध ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- गोटर पर निर्धारित धमता का कैपीशिटर लगायें।
- आपको अपना पम्पहाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा रीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा उपर्युक्त लाइन कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

नोट:-

- सीमेन्ट, बालू तथा भिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्मे तक एंगिल पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकीमात्रा निम्नलिखित दर से होगी, प्रति खम्मा तक सीमेन्ट 0.85 वोरी, बालू 4.55 घनफिट, भिट्टी 910 घनफिट, सीमेन्ट 0.35 वोरी, बालू 1.85 घनफिट भिट्टी 3.77 घनफिट।
- आपके कनेक्शन को विजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और वी० एण्ड एल० फार्म और मोटरडिव्लरेशन फार्म (गोटर मुआयना के ट्रेजरी चालान सहित) इस कार्यालय में जमा करें।
- यदि आप उपरोक्त शर्ते इस पत्र पाने के 90 दिन के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और आपका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- कृपया ISI मार्क मोटरों व स्टार्टर का प्रयोग करें।
- अन्तिम खम्मे से आपके परिसर तक जो केविल लगेगा उसका मूल्य आपसे नहीं लिया गया है। जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है।
- लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात ही संयोजन ऊर्जाकृत हो सकेगा।
- उपरोक्त नियम व शर्तों में परिवर्तन होना सम्भावित है तथा संशोधन नियम शर्ते आपको मान्य होंगी।
- जमायोजनान्तर्गत कनेक्शन लेने पर धनराशि जमा करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त दरीयता क्रमानुसार संयोजन दिया जायेगा।
- आपके परिसर पर मीटर स्थापित होने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जायेगा। यदि बिना मीटर के कनेक्शन चलता पाया जायेगा तो आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार होंगे।

पत्रांक: 11573 / वि०वि०ख०श०ह०/ पी०एफ०

प्रतिलिप निम्नलिखित की सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उपखण्ड अधिकारी, प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय, विद्युत वितरण उपखण्ड शाहावाद/ पिहानी/ सवारजपु, हरदोई।

दिनांक : 17/10/2023

(विनोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
०८८५

(विनोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
०८८५